प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर, ब्रांड ऑनर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रणकर्त्ता (Recycler) के लिए

<u>अति आवश्यक सूचना</u>

प्लास्टिक पैकेजिंग के सभी उत्पादक (Producers), आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ उत्पादों के आयातक (Importers), ब्रांड स्वामियों (Brand Owner) (जिसमें ऑनलाईन प्लेटफार्म/मार्केटप्लेस और सुपर मार्केट/खुदरा श्रृंखला शामिल है) एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्त्ता/पुनःचक्रणकर्त्ता (Plastic Waste Processors / Recycler) कृपया ध्यान दें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को अधिसूचना संख्या–सा.का.नि. 133(अ), दिनांक–16 फरवरी, 2022 के द्वारा संशोधित करते हुए अनुसूची–II में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये विस्तारित उत्पादक उतरदायित्व (Extended Producer Responsibility) के लिए दिशा–निर्देश दिये गये हैं। तत्आलोक में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित 'केन्द्रीयकृत ई.पी.आर. पोर्टल' (**https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home**) पर उपरोक्त वर्णित सभी हितधारकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्रांकः CP-20/14/2022-UPC-II-HO-CPCB-HO, दिनांक–13.05.2024 के निदेश के आलोक में दिनांक–31.05.2024 तक पंजीकरण कराना आवश्यक है। वैसे ब्रांड ऑनर जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–का.आ. 1702 (अ), दिनांक–01.07.2020 के तहत सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी में आते हैं, को ई.पी.आर. के दायित्व से मुक्त किया गया है। परन्तु, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, यथासंशोधित, दिनांक–24.03.2024 की अनुसूची–II के उप–पारा 6(1) के क(i) के तहत उन्हें भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा विकसित केन्द्रीयकृत ई.पी.आर. पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वेबसाईट **https://eprplastic.cpcb.gov.in/#/plastic/home** पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत हुआ है। अतः अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई का प्रावधान है तथा ऐसे उल्लंघनकर्त्ता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, यथासंशोधित, के नियम–18 के अन्तर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्त्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

24/5/24

सदस्य–सचिव

BIHAR
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 010
दूरभाष नं0–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050
ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in